न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/201/2012

उनवान

1. मु0 फुली देवी पत्नि स्वर्गीय रामदयाल धोबी निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. ओमप्रकाश पुत्र रामदयाल धोबी निवासी डोहरिया
3. मु0 प्रेम पत्नि रामदयाल धोबी निवासी डोहरिया
4. मु0 बिल्लु पुत्री रामदयाल धोबी निवासी डोहरिया
5. मु0 लाली पुत्री रामदयाल धोबी निवासी डोहरिया
6. मु0 कान्ता पुत्री रामदयाल धोबी (मृत्यु नाम डिलिट 21.9.2012)
7. बंशीलाल आत्मज रामदयाल धोबी निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. मु0 नोरती देवी पत्नि स्व0 सोहन सिंह चौधरी निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. राकेश पिता सोहन सिंह चौधरी मृतक के बजाय :– 2/1 इन्द्राज पत्नि राकेश चौधरी , हर्ष विहार कोलोनी शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. धर्मवीर पुत्र सोहन सिंह चौधरी निवासी शाहपुरा
4. विकास पुत्र सोहन सिंह चौधरी निवासी शाहपुराय
5. मु0 बेबी उर्फ स्वेच्छा पुत्री सोहन सिंह चौधरी निवासी शाहपुरा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 115/2002 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.4.2012

अभिभाषक : 1. श्री आर सी चेचाणी , अधिवक्ता अपीलार्थीगण

2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1से5

आदेश

दिनांक 8.12.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी संख्या 1 के पति एवं अपीलार्थी संख्या 2स से 7 के पिता/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डोहरिया पटवार हल्का डोहरिया तहसील शाहपुरामें वादी के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 309/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 310/2 रकबा 10 बीघा एवं आराजी नम्बर304/4 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा (4.17 हेक्टेयर) स्थित है जिसका वादी ही एकमात्र मालिक होकर वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। भू प्रबन्ध के बाद वादी के खातेदारी में आराजी नम्बर 1686 रकबा 2.78 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1693/2597 रकबा 0.38 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 3.16 हेक्टेयर दर्ज है। जबकि साबिक आराजी का रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा का भू प्रबन्ध के बाद रकबा 4.17 हेक्टेयर बनता है। इस तरह वादी के खाते में 1.01 हेक्टेयर भूमि कम दर्ज की गई है। वादी का 43–55 वर्षो से कब्जा हाल आराजी नम्बर 1886 रकबा 2.78 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1693 रकबा 0.49 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1693/2597 रकबा 0.38 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1686/2596 रकबा 0.15 हेक्टेयर कुल किता 4 रकबा 3.80 हेक्टेयर भूमि पर है। उक्त चारों आराजी नम्बर पर वादी का कब्जाकाश्त होने के बावजूद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादी को सुने बिना ही आराजी नम्बर 1693 रकबा 0.49 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1686/2596 रकबा 0.15 हेक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम पर दर्ज कर दी । जिससे प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 से पति एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के पिता सोहन सिंह चौधरी ने वादी के खिलाफ पत्थरगढी का एक वादपत्र प्रस्तुत किया । जिसके प्रकरण संख्या 53/2001 दर्ज किया गया एवं वाद पत्र दिनाक 25.6.2002 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान में श्री सोहन सिंह चौधरी ने ग्राम डोहरिया स्थित विवादित आराजी नम्बर 1693 व 1686/2596 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश धोखे व छलकपट से प्राप्त किये जिसकी जानकारी वादी को होने पर वादी के पुत्र ओमप्रकाश ने दिनांक 28.12.2001 को प्रभारी अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रभारी अधिकाकरी ने तहसीलदार को आावश्यक कार्यवाही का आदेश दिया । जिस पर तहसीलदार शाहपुरा ने आई एल आर कनेछन कलॉ को लिखा की प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच करने पर ही पत्थरगढी की जावे। जिस पर गिरदावर कनेछन कलॉ द्वारा दिनांक 16.5.2002 को पत्थरगढी करने की सूचना वादी को देना चाहा तब वादी ने तारीख 24.1.2002 का आदेश गिरदावर को दिया पर हल्का गिरदावर ने उक्त आदेश को बिना पढे ही श्री सोहन सिंह से रूपये प्राप्त कर बिना अधिकार के पत्थरगढी कर दी। जबकि वादी ने हल्का गिरदावर को पत्थरगढी का वाद अधीनस्थ श्रीमान् के यहॉ जैर कार्यवाही होने के कारण पत्थरगढी करने हेतु मना किया पर हल्का गिरदावर ने सोहन सिंह जी के दबाव में आकर पत्थरगढी कर दी पर पत्थरगढी अवैधानिक तरीके

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

से किये जाने के कारण पर बाध्यकारी नहीं है। इसलिए वादी ने व उसके पुत्र ने हस्ताक्षर नहीं किये परन्तु गिरदावर ने डरा धमकाकर हस्ताक्षर करवा लिये । परन्तु उक्त आराजी पर कब्जा वादी का ही है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। मृतक सोहन सिंह के नाम पर वर्तमान में आराजी नम्बर 1693 व 196/2596 दर्ज है जो सोहन सिंह जी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर आ जावेगी इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने वादग्रस्त आराजी को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकी दी है । वादग्रस्त आराजी नम्बर 1693 व 196/2596 की पत्थरगढी गलत आधार पर करने से वाद हेतुक दिनांक 16.5.2002 से उत्पन्न हुआ है। अतः वादग्रस्त आराजी नम्बर 1693 व 196/2596 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को पाबन्द किया जावे कि वे वादी की कब्जेसुदा वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे एवं न ही किसी अन्य से दखलन्दाजी करावें । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं दौराने विचारण वादी रामदयाल की मृत्यु हो जाने पर अभिभाषक वादी ने प्रर्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व धारा 9 सी पी सी प्रस्तुत कर वादी की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान को कायम मुकाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र वादी ने समयावधि बीत जाने के उपरान्त प्रस्तुत किया, जिस पर वादी का वाद पत्र अबेट हो जाने से प्रकरण का निस्तारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थीगण के पिता रामदयाल जी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया था। दौराने वाद अपीलार्थीगण के पिताजी रामदयाल जी की मृत्यु दिनांक 1.6.2010 को हो गई थी। अपीलार्थीगण को उक्त वाद पत्र की पूर्व में जानकारी नहीं थी । अधिवक्ता द्वारा सूचित करने पर जानकारी हुई । जानकारी होते हुए वादी के कायम मुकाम की हैसियत से अपीलार्थीगण को वाद पत्र में पक्षकार कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व धारा 9 जाब्ता दीवानी दिनांक 31.5.2011 को प्रस्तुत किया इसके साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व धारा 9 जाब्ता दीवानी एवं साथ में प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन प्रतिवादीगण की ओर से नहीं किया गया । अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व धारा 9 जाब्ता दीवानी विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण भी अंकित किया था। जिसकी रेस्पोडेण्ट्स/प्रतिवादीगण द्वारा कोई इंकारी नहीं की गई। उसके बावजूद अपीलार्थीगण का वाद अबेट होना मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने न्यायिक उद्धरण आर आर डी 2009 पेज 426 की ओर ध्यान

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आकर्षित कर निवेदन किया कि उपरोक्त मामले में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 दो वर्ष पांच महीने की देरी से प्रस्तुत करने के उपरान्त भी प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया था। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया ।

4. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का निवेदन है कि अपीलार्थी संख्या 2 ओम प्रकाश अनपढ नही होकर पढा लिखा है। जबकि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 में अपने आपको अनपढ बताया है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें एवं अपील में भी विलम्ब अवधि का प्रतिदिन का विलम्ब का समुचित कारण नहीं दर्शाया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। इसलिए अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

5. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि उन्हें अपने पिताजी श्री रामदयाल जी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की जानकारी नहीं थी। अधिवक्ता द्वारा सूचना देने पर जानकारी हुई तब जाकर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं धारा 9 सी पी सी प्रस्तुत किया गया । जबकि अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का निवेदन है कि अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व धारा 9 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें विलम्ब से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3

उ. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

व धारा 9 सी पी सी प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं दर्शाया है एवं न ही अपील में ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व धारा 9 सी पी सी विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण दर्शाया है। चूंकि मूल वाद में पक्षकारों के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। प्रकरण में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा उनके पिता द्वारा वाद प्रस्तुत करने की जानकारी नहीं होना तथा अधिवक्ता द्वारा जानकारी देने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व धारा 9 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना बताते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र साथ में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर आर डी 2009 पेज 426 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसरण में प्रकरण का मेरिट पर निर्णय पारित करने हेतु अपील स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करना विधिसम्मत समझते हैं।

6. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.4.2014 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर मूल वाद का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक22.1.18 को उपस्थित रहें।

7. निर्णय आज दिनांक 8.12.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

8/12/17

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा